राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमाकः राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 701 दिनाक 9/12/19

–: आदेश :–

निम्नाकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एव कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमाकः एफ ( ) / डीओपी / ए–II / 86 दिनाक 06 09 2011 के अनुसरण मे उनके नाम के सम्मुख अकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल–14 स्वीकृत की जाती है :–

क्र स	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ भरत कुमार गोचर	15 06 1990	20 08 2018	19 08 2019	20 08 2019
2	डॉ हिमाशु विमल	10 11 1991	08 10 2018	07 10 2019	08 10 2019
3	डॉ शान्ता चौधरी	01 01 1992	28 08 2018	27 08 2019	28 08 2019
4	डॉ नीरज कुमार	19 12 1987	16 10 2018	15 10 2019	16 10 2019
5	डॉ रतना राम	05 08 1988	09 10 2018	08 10 2019	09 10 2019
6	डॉ अमृत लाल	05 04 1987	11 10 2018	10 10 2019	11 10 2019
7.	डॉ मुकेश कुमार बुनकर	29 01.1988	15 10 2018	14 10 2019	15 10.2019
8	डॉ यशवन्त कुमार वर्मा	08 08.1992	22 10 2018	21 10 2019	22 10 2019
9	डॉ सुमन चौधरी	05 11 1991	27 08 2018	26 08 2019	27 08 2019
10	डॉ. जयपाल सैनी	27.11 1990	18 10 2018	17 10 2019	18 10 2019
11	डॉ आस्था	13.09 1994	11 10 2018	10 10 2019	11 10 2019
12	डॉ कचनलता	09 01 1992	12 10 2018	11 10 2019	12 10 2019
13	डॉ दिलखुश मीणा	15 04 1994	08 10 2018	07 10 2019	08 10 2019
14	डॉ अक्शा खान	27 07 1988	22 10 2018	21 10 2019	22 10 2019
15	डॉ जीनत बानो	21 02 1990	23 08 2018	22 08 2019	23 08 2019
16	डॉ खूबकलॉ मीना	09 10 1989	22 10 2018	21 10 2019	22 10 2019
17	डॉ आदित्य भारद्वाज	28 12 1991	15 10 2018	14 10 2019	15 10 2019

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमाक राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 701 दिनांक 9/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3 सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्व होना सुनिश्चित करे।
5 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6 कार्यालय सहायक, ए टी प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

21
19/12